न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **168 / 2022** अन्तर्गत धारा **251A RT Act.**

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सकूरखान पुत्र गफूरखान 2. कमरदीन पुत्र गफूरखान 3. सरमा पत्नी गफूरखान जाति सिन्धी, निवासी उण्डू तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. मुरीद पुत्र हकीम 2. आलम पुत्र पीरा 3. उस्मानखान पुत्र दीनाखान 4. बरकतखान पुत्र दीनाखान 5. वकीलखान पुत्र दीनाखान 6. शनिचर पुत्र पीरा 7. शेरू पुत्र पीरा 8. आरबखान पुत्र फूसाखान 9. काछबखान पुत्र फूसाखान 10. धापु पत्नी फूसाखान 11. हनीफखान पुत्र फूसाखान जाति मुसलमान, निवासी उण्डू तहसील शिव, जिला बाड़मेर 12. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक उण्डू 13. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री देवीलाल कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 09.07.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 961 / 497 रकबा 9.7124 हैक्टेयर मौजा उण्डू, तहसील शिव में आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1177 / 543, 1175 / 543, 1176 / 543 रकबा क्रमशः 3.0028, 1.7887, 1.6268 हैक्टेयर तहसील शिव में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे ग्रेवल मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपरिथत रहे है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। प्रार्थीगण द्वारा [illegible] रास्ता वर्तमान मे चालू है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 02 गट्ठा है तथा [illegible] विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 1177 / 543 रकबा 3.0028 हैक्टेयर में से रकबा 0.0728 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खसरा नम्बर 1175 / 543 रकबा 1.7887 हैक्टेयर में से रकबा 0.036[illegible] हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 8 से 11 के खसरा नम्बर 1176 / 543 रकबा 1.6268 हैक्टेयर में से र[illegible] 0.0364 हैक्टेयर भूमि उप[illegible] जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता / विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:13:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता वर्तमान मे चालू है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 02 गट्ठा है तथा रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 1177/543 रकबा 3.0028 हैक्टेयर में से रकबा 0.0728 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खसरा नम्बर 1175/543 रकबा 1.7887 हैक्टेयर में से रकबा 0.0364 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 8 से 11 के खसरा नम्बर 1176/543 रकबा 1.6268 हैक्टेयर में से रकबा 0.0364 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 961/497 रकबा 9.7124 हैक्टेयर मौजा उण्डू, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 1177/543 रकबा 3.0028 हैक्टेयर में से रकबा 0.0728 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खसरा नम्बर 1175/543 रकबा 1.7887 हैक्टेयर में से रकबा 0.0364 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 8 से 11 के खसरा नम्बर 1176/543 रकबा 1.6268 हैक्टेयर में से रकबा 0.0364 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 09.07.2025 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:13:04 IST
Reason: SelfAttested